पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 23.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 23.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में *महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा* सम्मान हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक- 23.09.2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसी क्रम में जनपद के अन्य थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया और शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पम्पलेट वितरित कर हेल्पलाइन नम्बरों का प्रचार-प्रसार किया गया। जिसमें क्रमशः

थाना कोतवाली नगर महोबा – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना कबरई – कस्बा कबरई में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में
थाना खन्ना- विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना चरखारी – कस्बा चरखारी में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में
थाना खरेला – कस्बा खरेला के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में
थाना श्रीनगर – कस्बा श्रीनगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में
थाना पनवाड़ी – थाना पनवाड़ी के कस्बा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में
थाना महोबकंठ – कस्बा महोबकंठ के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में
थाना कुलपहाड़ – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना अजनर – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
महिला थाना – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में

इस दौरान महिलाओं बालिकाओं से वार्ता कर परस्पर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें उनके अधिकारों से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों, *गुड टच-बैड टच*, *साइबर अपराध* से बचाव एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:-

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा, **1076 –** मा० मुख्यमंत्री हेल्प लाइन
1090 – विमेन पावर हेल्पलाइन, **1930 –** साइबर अपराध हेल्पलाइन **102 –** स्वास्थ्य सेवा,
108 – एम्बुलेंस सेवा **1098 –** चाइल्ड हेल्पलाइन, **181 –** महिला हेल्पलाइन

इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं एवं विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और हर परिस्थिति में उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 23.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 23.09.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

महोबा पुलिस

थाना चरखारी की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 23.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त प्रवीण राजपूत पुत्र हरी सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम कुल्हेंडा थाना मजगवां जनपद हमीरपुर जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा अवैध 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये ग्राम रिवई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 211/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उ0नि0 सूरज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त शिवम राजपूत पुत्र सुरेश राजपूत उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम मुहारी थाना कुलपहाड जनपद महोबा हाल पता ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा अवैध 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये कस्बा चरखारी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 212/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उ0नि0 प्रशांत दीक्षित के नेतृत्व में तृतीय पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त मोहित सोनी पुत्र स्व0 महेश सोनी उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम तुर्रा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा अवैध 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये ग्राम गौरहारि के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 213/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.प्रवीण राजपूत पुत्र हरी सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम कुल्हेंडा थाना मजगवां जनपद हमीरपुर

2.शिवम राजपूत पुत्र सुरेश राजपूत उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम मुहारी थाना कुलपहाड जनपद महोबा हाल पता ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा

3.मोहित सोनी पुत्र स्व0 महेश सोनी उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम तुर्रा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम –

प्रथम पुलिस टीम-

1.उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय

2.हे0का0 दयाराम कुशवाहा 3.हे0का0 राजकुमार यादव 4.कां0 राहुल यादव

द्वितीय पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सूरज कुमार पाण्डेय

2.हे0कां0 राजाराम पाल 3.कां0 सुदयवीर

तृतीय पुलिस टीम-

1.उ0नि0 प्रशांत दीक्षित

2.कां0 कुलदीप सिंह 3.कां0 मो0 कामिल

थाना कोतवाली नगर की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 23.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 सुभाषचन्द्र के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त बबलू उर्फ बबलू डैंजर पुत्र आशाराम उम्र करीब 22 वर्ष निवासी कस्बाथाई थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए मो0 आलमपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 435/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

इसी क्रम में उ0नि0 सनय कुमार के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त अमन रैकवार पुत्र गोवर्धन रैकवार उम्र 23 वर्ष निवासी मो0 नयापुरा बन्धानवार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए मो0 बन्धानवार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 436/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.बबलू उर्फ बबलू डैंजर पुत्र आशाराम उम्र करीब 22 वर्ष निवासी कस्बाथाई थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

2.अमन रैकवार पुत्र गोवर्धन रैकवार उम्र 23 वर्ष निवासी मो0 नयापुरा बन्धानवार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम –

प्रथम पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुभाषचन्द्र चौकी प्रभारी बजरिया
2. उ0नि0 प्रवीण सिंह चौकी प्रभारी पसवारा
3. कां0 आमिर खान

द्वितीय पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सनय कुमार चौकी प्रभारी मनियादेव
2. कां0 धर्मेन्द्र कुमार
3. कां0 आशीष पाल

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा थाना कुलपहाड़ में की गई समीक्षा बैठक आयोजित, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश...।

आज दिनांक 23.09.2025 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड द्वारा थाना कुलपहाड़ में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री राधेश्याम वर्मा, अतिरिक्त निरीक्षक, चौकी प्रभारी बेलाताल, समस्त हल्का प्रभारी एवं बीट आरक्षी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए शासन/उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। साथ ही मिशन शक्ति के अंतर्गत रोजाना जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने, महत्वपूर्ण स्थानों/चौराहों/बाजारों में प्रभावी पैदल गस्त व चेकिंग करने तथा आमजन से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त पेंडिंग आइकामातों जैसे IGRS के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण, विवेचना निस्तारण अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक विवेचनाओं के निस्तारण तथा ऑपरेशन क्लीन-2 के तहत माल निस्तारण आदि बिंदुओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।

क्षेत्राधिकारी द्वारा पुलिसकर्मियों को कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया गया तथा आमजन की शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

"मिशन शक्ति, विवेचना निस्तारण व ऑपरेशन क्लीन-2 पर क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा थाना कुलपहाड़ को दियेनिर्देश"

आज दिनांक 23.09.2025 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड द्वारा थाना कुलपहाड़ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना हाजा के रजिस्टर नंबर-4, महिला हेल्प डेस्क रजिस्टर, मालखाना रजिस्टर, शस्त्र रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर, तहसील एवं थाना समाधान रजिस्टर आदि का गहन परीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री राधेश्याम वर्मा की उपस्थिति में अधिकारीगण एवं कर्मचारियों को निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए—

सभी लंबित विवेचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए।

थाना स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों एवं IGRS प्रकरणों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

महिला हेल्प डेस्क पर दर्ज शिकायतों एवं महिला संबंधी मामलों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए शीघ्र समाधान किया जाए।

संवेदनशील एवं गंभीर मामलों में बीट पुस्तिका में सूचना दर्ज कर प्रभावी कार्यवाही

- ऑपरेशन क्लीन-2 के अंतर्गत थाने में रखे गए जब्त माल का अधिक से अधिक निस्तारण करते हुए रिकॉर्ड को अद्यतन रखा जाए।

- क्षेत्राधिकारी द्वारा पुलिसकर्मियों को कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया गया तथा आमजन की शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।